



भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा- भदोही

ई-ऑक्शन नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद भदोही में भदोही-सुरियावां रोड पर भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा द्वारा निर्मित पिपरिस औद्योगिक सह आवासीय योजना में व्यावसायिक भूखण्डों का आवंटन ई-आक्शन के माध्यम से किया जाना है। ई-आक्शन से सम्बन्धित विवरण दिनांक 05.12.2025 को ई-आक्शन पोर्टल eauction.bidabhadohi.com पर अपलोड किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म व्यावसायिक भूखण्डों का विवरण एवं शर्तों का अवलोकन eauction.bidabhadohi.com पर कर ई-नीलामी प्रक्रिया में आवश्यक कार्यवाही कर भाग ले सकते हैं। आवंटन हेतु उपलब्ध व्यावसायिक भूखण्डों का विवरण नियम व शर्तें निम्नवत् है:-

क्र०	योजना का नाम	सम्पत्ति की श्रेणी	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	विक्रय (रुपये में)
1	पिपरिस औद्योगिक सह आवासीय योजना	व्यावसायिक भूखण्ड	01 01	92.71 112.00	1761490 2128000

- पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक 05.12.2025
- पंजीकरण समाप्ति दिनांक 20.12.2025
- ई-ऑक्शन दिनांक 23.12.2025 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक ।
- आवेदनकर्ता से निम्नलिखित अभिलेख लेना वांछित होगा:-
क. आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स
- प्रत्येक सम्पत्ति के लिए बुकलेट फीस (ई-आक्शन फीस एवं दस्तावेज शुल्क) रु० 2000+18 प्रतिशत जी०एस०टी० तथा एप्लीकेशन एमाउण्ट (ई०एम०डी० धनराशि) कुल विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत होगा।
- सभी व्यावसायिक भूखण्डों की उपरोक्त कीमत अनुमानित है। कीमत में कमी/वृद्धि सम्भावित है।
- ई-आक्शन प्रति सम्पत्ति/दुकान/हाल/भूखण्ड के न्यूनतम आरक्षित मूल्य के आधार पर की जायेगी जिसके लिए न्यूनतम अन्तर होगा एवं प्रति सम्पत्ति के सापेक्ष न्यूनतम बिडर की संख्या निम्न विवरण के अनुसार होगी।

क्र०सं०	योजना का नाम	ई-ऑक्शन हेतु न्यूनतम अन्तर (% में)	न्यूनतम बिडर की संख्या
1	पिपरिस औद्योगिक सह आवासीय योजना	0.25 %	03

- बीडा मार्ट में सफल बिडर को नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि बिड की स्वीकृति होने पर अधिकतम एक सप्ताह में जमा करना होगा जिसमें पंजीकरण धनराशि सम्मिलित होगी। अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष के अन्दर 04 त्रैमासिक किस्तों में अनुमन्य ब्याज के साथ जमा करना होगा। आवेदक चाहे तो एक साथ ही अवशेष धनराशि जमा कर सकता है।
- अन्य योजनाओं में सफल बिडर को नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि बिड की स्वीकृति होने पर अधिकतम एक सप्ताह में जमा करना होगा जिसमें पंजीकरण धनराशि सम्मिलित होगी। अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर 08 त्रैमासिक किस्तों में अनुमन्य ब्याज के साथ जमा करना होगा। आवेदक चाहे तो एक साथ ही अवशेष धनराशि जमा कर सकता है।

10. निर्धारित किस्तों की देय तिथि पर किस्त जमा न होने पर 18.00 प्रतिशत की दर से विलम्ब ब्याज देय होगा।
11. निबन्धन विलेख का समस्त व्यय आवंटी को वहन करना होगा।
12. आवंटी को दुकान/हाल के मूल्य के अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रीपेड लीज रेंट एवं अन्य देय शुल्कों का भुगतान आवंटन के उपरान्त करना होगा।
13. आवंटी को व्यवसायिक भूखण्डों के मूल्य के अतिरिक्त 12 प्रतिशत फ्री होल्ड धनराशि एवं अन्य देय शुल्कों का भुगतान आवंटन के उपरान्त करना होगा।
14. आवंटन के पश्चात ई-आक्शन में सफल व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति न लेने अथवा धनराशि जमा न करने पर ई.एम.डी. (एप्लीकेशन एमाउण्ट) धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
15. आवेदनकर्ता को ई-आक्शन हेतु अपलोड की गयी सभी विवरण की हार्डकापी आवंटन के समय उपलब्ध करानी होगी।
16. निर्मित आवंटित दुकान/ हॉल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। किसी भी दुकान में पानी अथवा अन्य सुविधाएं देने के लिए प्राधिकरण बाध्य नहीं है। तकनीकी अनुभाग की आख्या पर ही आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
17. आवंटित दुकान/हाल/भूखण्ड का किसी भी दशा में उप विभाजन नहीं किया जायेगा।
18. दुकान/हाल का कब्जा आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात प्रथम किस्त जमा होने के बाद तकनीकी अनुभाग की आख्या पर ही दिया जाना संभव होगा। व्यवसायिक भूखण्ड का कब्जा पूर्ण भुगतान होने के पश्चात ही दिया जायेगा।
19. आवंटी को पंजीकरण एवं प्रदेशन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
20. ऑक्शन हेतु उपलब्ध समस्त सम्पत्ति उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं से आच्छादित रहेगा।
21. नीलामी स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) भदोही में निहित है।
22. ई-ऑक्शन में किसी भी चरण में बिडर के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा- विरोधी व्यवहार पाया जाता है तो उनका EMD जब्त किया जायेगा साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ब्लैक लिस्ट एवं कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
23. नियमों व शर्तों को बदलने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी का होगा। विनियमों में किसी बात के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण हित में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अन्यथा निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा।


M.W.